न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–110/2013–14

विजय कुमार एवं अन्य बनाम अशोक कुमार एवं अन्य

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18/9/18	आदेश प्रथम पक्ष के द्वारा यह वाद बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा–खेदलपुरा थाना नं0 50 के अंतर्गत द्वितीय पक्ष के लिए कायम जमाबंदी सं0 163, 164, 165 एवं 166 को रद्द करने हेतु लाया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है :– **प्रथम पक्ष** (1) विजय कुमार, पिता स्व0 रामेश्वर प्रसाद, (2) कुन्दला देवी, पति स्व0 रामेश्वर प्रसाद, दोनों महल्ला–चकारम, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–बुद्धा कॉलोनी, जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** (1) अशोक कुमार, (2) शिव चन्द्र कुमार, (3) बिजेन्द्र कुमार, (4) सत्येन्द्र कुमार, सभी पिता स्व0 आदया प्रसाद, सभी ग्राम–खेलदपुरा, पो0+थाना–बिहटा, जिला–पटना (प्रथम सेट) (5) तारकेश्वर प्रसाद उर्फ गुप्ता, पिता स्व0 किशुन राय, ग्राम–मोकिमपुर हरपुरा, थाना–दुल्हिनबाजार, जिला–पटना (6) राम सिंहासन राय, पिता स्व0 चन्द्रमण राय, (7) लालती देवी, पति स्व0 सुर्दशन राय, (8) राज कुमार राय उर्फ मिर्चया, पिता स्व0 चन्द्रमा राय, सभी ग्राम–हसनपुरा, पो0–बेदौली, थाना–भगवानगंज, जिला–पटना। **प्रथम पक्ष का कहना है कि :–** (1) उभय पक्ष एक ही पूर्वज उत्तम गोप उर्फ फागु गोप के वंशज है। उत्तम गोप उर्फ फागु गोप को एकमात्र पुत्र रामधनी गोप हुए। रामधनी गोप को तीन पुत्र रामप्रीत गोप, कृत गोप एवं प्रगास राय हुए। रामप्रीत राय की निःसंतान मृत्यु हो गयी। कृत गोप अपने पीछे तीन पुत्री तारामुनी देवी, धनमतिया देवी एवं कुण्डला देवी (आवेदक सं0 2) को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। कुण्डला देवी के तीन पुत्र हुए जिनमें से एक पुत्र विजय कुमार इस वाद में आवेदक सं0–1 है। तारामुनी देवी को एक पुत्र तारकेश्वर प्रसाद हुए, जो इस वाद में विपक्षी सं0 5 है। धनमतिया देवी के तीन पुत्र सुदर्शन राय, राजकुमार राय एवं राम सिंहासन राय हुए जो इस वाद के विपक्षी सेट सं0 02 हैं। प्रगास राय को एक पुत्र अध्या प्रसाद हुए, जिनके चार पुत्र अशोक कुमार, शिव चन्द्र कुमार, विजेन्द्र कुमार एवं सत्येन्द्र कुमार इस वाद को विपक्षी सेट सं0 1 है। (2) जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात कृत गोप एवं प्रगास राय के नाम	

से जमाबंदी कायम की गयी तथा उनके द्वारा लगान अदा किया जाने लगा। प्रगास राय की मृत्यु 1975 में तथा कृत गोप की मृत्यु 1978 में हो गयी।

(3) विवादित भूखण्ड पुश्तैनी सम्पति है, जिसमें कृत गोप एवं प्रगास राय का बराबर का हिस्सा होता है। परिवार के बीच सम्पति का कोई बंटवारा नहीं हुआ है।

(4) प्रगास राय के पुत्र अध्या राय के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए अंचल कर्मियों को मेल में लेकर विवादित भूखण्ड की जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा ली गयी। अध्या प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उनके चार पुत्रों के द्वारा अपने–अपने नाम से जमाबंदी करवा ली गयी, जबकि विवादित भूखण्ड में आवेदकगण एवं विपक्षी सेट–2 का भी समरन हिस्सा होता है। विपक्षी सेट सं0 1 के नाम से कायम जमाबंदियाँ अवैध है तथा रद्द करने योग्य है।

विपक्षी प्रथम सेट का कहना है कि :–

(1) रामप्रीत गोप एवं रामकृत गोप की निःसंतान मृत्यु हो गयी थी। अध्या प्रसाद, पिता प्रगास राय को खानगी बंटवारा के आधार पर विवादित भूमि प्राप्त हुयी थी, जिसके लिए अध्या प्रसाद के नाम से जमाबंदी सं0 50 एवं 54 कायम थी। अध्या प्रसाद की मृत्यु के पश्चात उनके चार पुत्र अशोक कुमार, शिव चन्द्र कुमार, विजेन्द्र कुमार एवं सत्येन्द्र कुमार विवादित भूखण्ड पर संयुक्त रूप से दखल में आये। पुनः उनके बीच आपसी बंटवारा के पश्चात जमाबंदी सं0 163, 164, 165 एवं 166 कायम की गयी।

(2) इस वाद के आवेदकगण एवं विपक्षी द्वितीय सेट के द्वारा विवादित भूखण्ड को लेकर बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना के न्यायालय में धारा 106 के अन्तर्गत वाद सं0 19/2008 दायर किया गया, जो दिनांक 01.07.2012 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 21/2009 चल रहा है। ऐसी स्थिति किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना नियम सम्मत नहीं होगा।

(3) सरकार के द्वारा मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु विवादित भूखण्ड का अंश अर्जित किया गया। अर्जित भूमि के मुआवजे का 80 प्रतिशत राशि 57,14,682/– (सतावन लाख चौदह हजार छः सौ बेरासी) रू0 का एवार्ड इस वाद के विपक्षी सं0 1 से 4 के लिए तैयार किया गया एवं चेक सं0 173428 दिनांक 28.01.2008 से भुगतान किया गया।

(4) इस वाद के आवेदकगण एवं विपक्षी द्वितीय सेट के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के समक्ष मुआवजा भुगतान पर आपति की गयी। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के द्वारा एल0ए0 वाद सं0 12/2007–08 के तहत सुनवाई की गयी, परन्तु कोई आदेश पारित नहीं किया गया। तत्पश्चात विपक्षी प्रथम सेट के द्वारा उच्च न्यायालय में C.W.J.C No. 18419/2008 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.07.2010 को आदेश पारित करते हुए मामले को भू–अर्जन अधिनियम की धारा–30 के तहत सक्षम न्यायालय को विचारण हेतु भेजने का निदेश दिया गया। सब जज–II पटना के न्यायालय में एल0ए0 वाद सं0 64/2011 विचाराधीन है।

(5) इस वाद के आवेदकगण एवं अन्य के द्वारा स्वत्व वाद सं0 21/2009 में Under Section 151 Order 39, Rule 06 of the CPC

आवेदन दिया गया। जिसे दिनांक 05.07.2010 को अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात इस वाद के आवेदकगण एवं अन्य के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना में मिसलेनियस अपील सं0 618/2010 दायर की गयी, जिसे उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.02.2012 को खारिज कर दिया गया।

(6) आवेदकगण की माँग पूर्णतः नाजायज है तथा उनका आवेदन निरस्त करने योग्य है।

विपक्षी द्वितीय सेट के द्वारा अपने प्रतिउत्तर में आवेदकगण की याचिका का समर्थन करते हुए विपक्षी प्रथम सेट के नाम से कायम जमाबंदियों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

बहस हेतु निर्धारित तिथि 02.06.2018 को विपक्षी प्रथम सेट पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। सुनवाई की अगली तिथि 17.07.2018 को भी विपक्षी पुकार पर उपस्थित नहीं हुए। अंततः दिनांक 02.08.2018 को एक पक्षीय सुनवाई की गयी। आवेदकगण के द्वारा लिखित बहस जमा करने हेतु समय की मांग की गयी। आवेदकगण के द्वारा दिनांक 18.09.2018 को लिखित बहस दाखिल की गयी।

इस वाद के दो पहलु हैं।

(1) भू–अर्जन से प्राप्त होने वाले मुआवजे का वितरण

(2) विवादित भूखण्ड पर स्वत्व एवं हिस्से का निर्धारण

भू–अर्जन के मुआवजा को लेकर इस वाद के आवेदकगण के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के समक्ष आवेदन दिया गया। एल0ए0 वाद सं0 12/2007–08 के अन्तर्गत जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के द्वारा इस वाद के विपक्षी प्रथम सेट को नोटिस निर्गत की गयी। इस वाद के विपक्षी प्रथम सेट के द्वारा C.W.J.C No. 18419/2008 दायर की गयी, जिसे दिनांक 23.07.2010 को निष्पादित करते हुए मामले को भू–अर्जन अधिनियम की धारा–30 के तहत सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु भेजने का आदेश दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के द्वारा मामला सब जज–II सह विशेष भू–अर्जन न्यायाधीश–II पटना के न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया।

सब जज–II सह विशेष भू–अर्जन न्यायाधीश–II पटना के द्वारा दिनांक 27.04.2018 को आदेश पारित करते हुए दोनों पक्षों को मुआवजा राशि का आधा–आधा भुगतान करने का आदेश दिया गया। तदनुसार माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.05.2018 को एवार्ड भी घोषित किया गया।

जहाँ तक विवादित भूखण्ड पर स्वत्व एवं हिस्से के निर्धारण का मामला है, उसके लिए व्यवहार न्यायालय, दानापुर में टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 21/2009 विचाराधीन है।

इस वाद के आवेदकगण एवं अन्य के द्वारा टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 21/2009 में Under Section 151 Order 39, Rule 06 of the CPC आवेदन दिया गया, जिसे दिनांक 05.07.2010 को निरस्त कर दिया गया। Injunetion के लिए दिये गये इस आवेदन को निरस्त किये जाने के विरूद्ध इस वाद के आवेदकगण एवं अन्य के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना में मिसलेनियस अपील सं0 618/2010 दाखिल की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.02.2012 को यह कहते हुए अपील निरस्त

कर दी गयी कि पक्षकारों को निम्न न्यायालय में दायर स्वत्व वाद सं0 21/2009 में पूर्ण सहयोग करना चाहिए ताकि वाद का जल्दी निष्पादन हो सके।

इस वाद में अंचलाधिकारी, बिहटा से भी विवादित भूखण्ड से संबंधित जमाबंदियों के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी।

अंचलाधिकारी, बिहटा के पत्रांक 883 दिनांक 11.07.2015 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार खेसरा सं0 23 एवं 32 को छोड़कर शेष खाता, खेसरा की जमाबंदी अशोक कुमार, शिवचन्द्र कुमार, विजेन्द्र कुमार एवं सत्येन्द्र कुमार के नाम से जमाबंदी सं0 क्रमशः 163, 164, 165 एवं 166 कायम है। उक्त सभी जमाबंदी अध्या प्रसाद, पिता प्रगास राय की जमाबंदी सं0 50 एवं 54 से लायी गयी है। स्थानीय जांच में विवादित भूखण्ड पर जमाबंदी रैयतों को दखल–कब्जा पाया गया।

आवेदकगण का कहना है कि विवादित भूखण्ड में उनका भी हिस्सा होता है। अध्या प्रसाद के द्वारा गलत ढंग से अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा ली गयी थी।

जहाँ तक हिस्से के निर्धारण का प्रश्न है, उसके लिए व्यवहार न्यायालय में टाईटिल पार्टीशन सूट विचाराधीन है। इस वाद के आवेदकगण के द्वारा उक्त टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 21/2009 में Injunetion हेतु आवेदन दिया गया, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 05.07.2010 को निरस्त कर दिया गया। व्यवहार न्यायालय के दिनांक 05.07.2010 के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में मिसलेनियस अपील सं0 618/2010 दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.02.2012 को अपील निरस्त करते हुए आदेश दिया गया कि उभय पक्ष व्यवहार न्यायालय से ही न्याय निर्णय प्राप्त करें।

उपर्युक्त परिस्थिति में जबकि मामला सक्षम व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। व्यवहार न्यायालय के द्वारा Injunetion लगाने से इन्कार कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपील निरस्त कर दिया गया। विवादित भूखण्ड पर पूर्व से कायम किसी भी जमाबंदी के संबंध में इस न्यायालय से किसी प्रकार का आदेश दिया जाना उचित एवं विधि सम्मत नहीं होगा।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्ष व्यवहार न्यायालय से न्याय निर्णय प्राप्त करें।

लेखापित एवं संशोधित।

18/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

18/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना